135

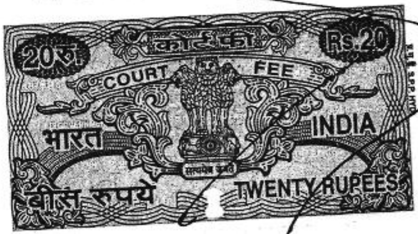

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर,केम्प सागर

निगरानी 1588-I-15

गोकुल तनय अजुद्दया चमार
निवासी ग्राम घिनौची तह. बडामलहरा जिला छतरपुर ....निगरानीकर्ता

विरूद्व

1. सुनिया बाई पुत्री पंचा चमार पत्नि धरमदास चमार
निवासी ग्राम कचारी तह. वक्स्वाहा जिला छतरपुर
2. लच्छीबाई पुत्री पंचा चमार पत्नि फुल्ली चमार
निवासी ग्राम दमोतीपुरा तह. बिजावर जिला छतरपुर ......अनावेदकगण

9.6.18

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित अपीलार्थीगण न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी बडामलहरा जिला छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14/5/15 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह अपील श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :-

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा घिनौची स्थित भूमि खसरा क्र 970 रकवा 2.205 हे भूमि निगरानीकर्ता की भूमि है जिस पर उसका नाम नामांतरण पंजी क्र 10 में पारित आदेश दिनांक 24/6/1984 के द्वारा दर्ज किया गया था। अनावेदकगण द्वारा करीब 28 वर्ष की लंबी अवधि पश्चात् उक्त नामांतरण आदेश के विरूद्व एक अपील अनुविभागीय अधिकारी बडामलहरा के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसके साथ उनके द्वारा एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम का भी प्रस्तुत किया गया जिसका निगरानीकर्ता द्वारा विधिवत् जबाव प्रस्तुत किया गया परंतु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधि विरूद्व तरीके से उक्त आवेदन पत्र को स्वीकार किए जाने का विधि विपरीत आदेश पारित किया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता की यह निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

क्रमांक :–निगरानी–1588–एक/2015 जिला–छतरपुर

गोकुल विरूद्ध सुनिया बाई व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22-08–2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बडामलहारा, जिला–छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–05–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27–07–2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25–9–2018 के फलस्वरूप संहिता की धारो 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 10–10–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	